

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार गुदागौड़जी
 का नाम सावर पुत्र बौद्ध 432 वर्ग रजिस्ट्रार राजस्व रिकॉर्ड में परन्तु अन्य आवेदन स्टाफिको
 10 अंक तालिका वर्ष 1994, परिवार कार्ड में सावरमल पुत्र बौद्ध राम दर्ज है। अतः अन्य आवेदन
 स्टाफिको अनुसार जमाबन्दी संवत् 2075-78 के खाता सं-760 में सावर पुत्र बौद्ध के बजाय
 सावरमल पुत्र बौद्ध राम के नाम की सुद्धि हेतु विधि सम्मत आदेशों द्वारा शीतान की सेवा में प्रेषित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

क्रमांक :- राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है /नहीं की जाती है।

(Handwritten Signature)
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

956
 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 20/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुदागौड़जी	2075-2078	760 नम	सावर पुत्र बौद्ध	सावरमल पुत्र बौद्ध राम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

(Handwritten Signature)
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 176-177
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 20/10/2021

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

(Handwritten Signature)
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी